FORM NO –III

फर्द–अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, **मुकाम** नागौर

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा, नागौर जरिऐ प्राधिकृत अधिकारी		1. श्री हारून गौरी पुत्र स्व0 श्री पुसे उर्फ पुसा खान(स्व0 श्री पुसे उर्फ पुसा खान पुत्र श्री निजामा खान का विधिक उत्तराधिकारी) निवासी–मुसलमानों का बास,बावड़ी,जोधपुर 2. श्रीमती मैना खोखर पत्नी श्री मुन्ना खान छीपों का मौहल्ला,कुचेरा,जिला–नागौर।

किस्म मुकदमा – सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002 **संख्या–** 156 **सन्** 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
31.10.2025	वकील प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत बंधक वाहन का अप्रार्थी से कब्जा लेकर प्रार्थी को सुपुर्द करने के आदेश प्रदान करने बाबत प्रस्तुत किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में ऋणी पुसे उर्फ पुसा खान था। आवेदन के अनुसार उनका स्वर्गवास हो चुका हैं। प्रस्तुत प्रकरण स्व0 पुसे उर्फ पुसा खान के विधिक वारिसान का प्रमाण–पत्र सक्षम न्यायालय से जारी सुदा पेश नहीं किया गया हैं। प्रस्तुत प्रकरण में समस्त विधिक वारिसान पक्षकार बनाये गये हो ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया हैं। धारा 13(2) के नोटिस के क्रम संख्या 3 पर मृतक के सभी वारिसान अंकित करते हुवे जारी किया गया परन्तु इसमें मृतक के वारिसान के नाम एवं पत्ता नहीं लिखा गया हैं,इसलिए यह नोटिस विधिक प्रावधानों के तहत जारी किया हुआ नहीं माना जा सकता हैं। प्रस्तुत प्रकरण में ऋणी के सभी विधिक वारिसान को धारा 13(2) का नोटिस जारी होकर उनकी पर्याप्त तामिल होने का अभाव होने से प्रकरण में किसी प्रकार का आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता हैं। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। जिला मजिस्ट्रेट, नागौर जिला मजिस्ट्रेट नागौर	